

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(121)वित्त-1(1)आय.व्य/2018

जयपुर, दिनांक : 25.11.2019

स्वीकृति संख्या:-402/2019-20

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)
के पी.डी.खाते में राशि रुपये 322.70 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/के.प्र.यो./2019-20 स्वीकृति सं. 59/2019-20 दिनांक 07.11.2019 राशि रुपये 322.70 लाख, में अंकित शर्तों के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 322.70 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

(राशि लाखों में)


2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण।	
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।	
(19)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित योजनाये।	
[06]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया के माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	322.70

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, वित्त (बजट)